

31/07/83

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
 वकील प्रार्थी को बरक में दिनांक 03/11/82
 से सतवी हेतु समय दिया जा रहा है।
 बावजूद इनकी ओर से सतवी पेश नहीं
 की जा रही है, ना ही उपस्थित हो रहे।
 वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण को बर-
 कार रुक-रुक कर न्यायालय समय में
 न्यायालय समय समाप्त तक आवाजे
 लगाई गई, बावजूद वकील प्रार्थी /
 प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित
 नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थी का
 प्रार्थन पत्र अदालत में जमा कर
 पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
 दर्ज नमकर से रुम होकर फैसला सुमा
 होकर दायित्व दफ्तरी है।

निर्णय आज दिनांक 31/7/83 को
 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Mansoor
 सहायक वकील
 जयपुर शहर न्यायालय

प्रार्थन
 हाजरी
 जाने
 बुद्ध
 ति